

- 14/1B, Ezra Street (8th floor),
Calcutta-700001.
2. Export Inspection Agency-Madras,
123, Mount Road,
Madras-600006.
3. Export Inspection Agency—Bombay,
Aman Chambers, (4th floor),
113, M. Karve Road,
Bombay-400004.
4. Export Inspection Agency—Cochin,
Manohar Buildings,
Mahatama Gandhi Road,
Ernakulam,
Cochin-682011.
5. Export Inspection Agency—Delhi,
Municipal Market Building,
3, Saraswati Marg, Karol Bagh,
New Delhi-110005.

साबुन में शर्करा तथा ग्लिसरीन हो सकते हैं। साबुन के साथ प्रयोग करने में सभी सामग्रों हानि रहित होगी।

[सं० 6(29)/76-नि०नि०न०न०न०उ०]

S.O. 1018.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), published a proposal to recognise the Indian Standards Institution Certification Mark in relation to toilet soaps as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part-II, Section 3, Sub-section (ii) dated the 10th March, 1979, under the order of the Government of India in the Ministry of Commerce S.O. No. 868, dated the 10th March, 1979.

And whereas objections and suggestions were invited till the 24th April, 1979, from all persons likely to be affected thereby;

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 13th March, 1979;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) the Central Government hereby recognises the Indian Standards Institution Certification Mark in relation to toilet soaps for the purpose of denoting that where the cartons or packages of toilet soaps are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the standard specifications applicable thereto under clause (3) of section 6 of the said Act.

Explanation.—In this notification "toilet soaps" means opaque or transparent toilet soaps, thoroughly saponified, milled or un-milled soap or homogenized soap, white or coloured or transparent, perfumed and compressed in the form of firm smooth cakes, and shall possess good cleaning and lathering properties. In addition to perfume and moisture and volatile matter, toilet soaps may contain only colouring matter, preservatives, medicaments, superfatting agents and such additional substances as are declared on the label. The transparent toilet soap may contain sugar and glycerol. However, all the foregoing materials shall be non-injurious in use with soap.

[No. 6(29)/76-EI&EP]

Explanation.—In this notification 'toilet soaps' means opaque or transparent toilet soaps, thoroughly saponified, milled or un-milled soap or homogenized soap, white or coloured or transparent, perfumed and compressed in the form of firm smooth cakes, and shall possess good cleaning and lathering properties. In addition to perfume and moisture and volatile matter, toilet soaps may contain only colouring matter, preservatives, medicaments, superfatting agents and such additional substances as are declared on the label. The transparent toilet soap may contain sugar and glycerol. However, all the foregoing materials shall be non-injurious in use with soap.

[No. 6(29)/76-EI&EP]

का० अ० 1018.—निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, प्रसाधन साबुन के संबंध में भारतीय मानक संस्था प्रमाणिकरण चिह्न को मान्यता देने की प्रस्तावना निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1964 के नियम 11 के उप-नियम (2) की अपेक्षातुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश संख्या का० अ० 868 तारीख 10 मार्च 1979 को अधीन भारत के राजपत्र भाग 2, खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 मार्च, 1979 में केन्द्रीय सरकार द्वारा प्रकाशित कर गया था।

और इसमें प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों में 24 अप्रैल, 1979 तक आक्षेप और सुझाव मांगे गए थे;

और उक्त राजपत्र की प्रतियां जनता को 13 मार्च, 1979 को उपलब्ध करा दी गयी थी।

और उक्त रूप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार द्वारा विचार कर लिया गया है;

अतः, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा यह घोषित करने के प्रयोजन के लिए, प्रसाधन साबुन के संबंध में भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न को मान्यता देती है जहां प्रसाधन साबुन के डिब्बों पर ऐसे चिह्न लगाए गए हैं, यहाँ वे उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (3) के अधीन उम पर लागू होने वाले मानक विनिर्देशों के अनुरूप समझे जाएंगे।

स्पष्टीकरण :—इस अधिसूचना में "प्रसाधन साबुन" से अपारदर्शी या पारदर्शी प्रसाधन साबुन अभिप्रेत है जो पूरी तरह से साबुनीकृत मिल द्वारा तैयार किया गया है/मिल द्वारा तैयार नहीं किया गया या सफेद या रंगीन या पारदर्शी, सुगंधित और बहाए हुए रूप में या पक्की चिकनी टिकी के रूप में हैं जिन्हें अच्छी सफाई तथा झाग देने वाली विशेषताएं होंगी। सुगंध और अम्लता तथा वाष्पणीय पदार्थ के प्रतिरक्षित प्रसाधन साबुन में रंगीन पदार्थ, प्रतिरक्षक चिकित्सीय अत्यधिक वसायुक्त तथा ऐसे पदार्थ हो सकते हैं जो लेबल पर घोषित किए गए हैं पारदर्शी प्रसाधन

का० अ० 1019.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करने हुए, निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1979 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशित की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण अधिकरण कर्मचारी (वर्गीकरण नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 के नियम 2 में,—

(1) खंड (ख) के स्थान पर निम्नलिखित खंड रखा जाएगा, अर्थात् :—

(ख) "अधिकरण" से, निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 की धारा 7 की उपधारा (1) के अधीन केन्द्रीय सरकार द्वारा स्थापित निर्यात निरीक्षण अधिकरण अभिप्रेत है।

(2) खंड (क) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(क) ‘‘लोक सेवक’’ में कोई सरकारी सेवक या परिषद्/अधिकरण के कर्मचारी अभिप्रेत है।’’

3. उक्त नियमों के नियम 11 में उपनियम (8) को उक्त उपनियम के खंड (क) के रूप में पुनः अक्षरांकित किया जायेगा तथा इस प्रकार पुनः अक्षरांकित किए गए खंड के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जाएगा, अर्थात्—

“(ख) अधिकरण का कर्मचारी अपनी ओर से मामला प्रस्तुत कराने के लिए, नियुक्त किसी सरकारी कर्मचारी या अधिकरण के सेवा निवृत्त किसी कर्मचारी परिषद् के सेवानिवृत्त किसी कर्मचारी की सहायता ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ले सकता है जो परिषद् इस बाबत समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।’’

[एफ० सं० 3(11)/76 ई आई एड ई पी]

S.O. 1019.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Agency, Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment, Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Agency Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, in rule 2—

(1) for clause (b) the following clause shall be substituted namely :—

“(b) ‘‘Agency’’ means the Export Inspection Agency established by the Central Government under sub-section (1) of section 7 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963.’’

(2) after clause (m), the following clause shall be inserted, namely :—

“(mm) ‘‘public servant’’ means a Government servant or an employee of the Council/Agency.’’

3. In the said rules, in rule 11, sub-rule (8) shall be re-numbered as clause (a) of that sub-rule and after the clause as so renumbered, the following clause shall be inserted, namely :—

“(b) The Agency employee may also take the assistance of a retired Government servant or a retired Agency employee or a retired Council employee to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Council from time to time by general or special order in this behalf.’’

[F. No. 3(11)/76-EI & EP]

का० सं० 1020.—केन्द्रीय सरकार, निर्यात (इंक्वालिटी नियंत्रण तथा निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 17 द्वारा प्रदान शक्तियों का प्रयोग करते हुए, निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित बनाती है, अर्थात्—

1. (1) इन नियमों का नाम निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) संशोधन नियम, 1980 है।

(2) ये राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होंगे।

2. निर्यात निरीक्षण परिषद् कर्मचारी (वर्गीकरण, नियंत्रण तथा अपील) नियम, 1978 में जिसे इनमें इनके पश्चात् उक्त नियम कहा गया

है, के नियम 2 के खंड (अ) के पश्चात् निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा, अर्थात्—

“(अ) ‘‘लोक सेवक’’ में या लोक सेवक कोई परिषद् का कर्मचारी या ऐसा कोई कर्मचारी अभिप्रेत है जो परिषद् के प्रशासनिक तथा तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्यरत रहा है।’’

3 उक्त नियमों के नियम 1 में—

(1) उपनियम (2) में ‘‘प्राधिकारी’’ शब्द के स्थान पर ‘‘लोक सेवक’’ शब्द रखे जाएंगे,

(2) उप-नियम (2) में ‘‘परिषद् के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे कर्मचारी’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘लोक सेवक’’ शब्द रखे जाएंगे,

(3) (i) उप-नियम (8), उक्त उप-नियम के खंड (क) के रूप में ‘‘परिषद् के किसी अन्य कर्मचारी या परिषद् के प्रशासनिक एवं तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्य कर रहे किसी कर्मचारी’’ शब्दों के स्थान पर ‘‘किसी लोक सेवक’’ शब्द प्रतिस्थापित किये जायेंगे।

(ii) इस प्रकार पुनः अक्षरांकित उपनियम (8) के खंड (क) के पश्चात्, निम्नलिखित खंड अन्तःस्थापित किया जायेगा अर्थात्—

“(ख) परिषद् का कर्मचारी अपनी ओर से मामला पेश कराने के लिए, सेवानिवृत्त किसी सरकारी कर्मचारी या परिषद् के सेवानिवृत्त कर्मचारी या सेवानिवृत्त किसी ऐसे कर्मचारी की भी, जिसने परिषद् के प्रशासनिक और तकनीकी नियंत्रण के अधीन कार्य किया है, सहायता ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए ले सकता है जो परिषद् इस बाबत समय-समय पर साधारण या विशेष आदेश द्वारा विनिर्दिष्ट करे।’’

4. (i) उक्त नियमों के नियम 21 में, उप-नियम 2 (1) के परन्तुक (i) में, ‘‘ऐसी जांच की कार्यवाही पर विचार करके’’ शब्दों से आरम्भ होने वाले ‘‘तथा ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे’’ शब्द से समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा :—

‘‘ऐसी जांच कार्यवाही पर विचार कर के ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।’’

(ii) परन्तुक (ii) में, ‘‘तो अपील प्राधिकारी—’’ शब्दों से आरम्भ होने वाले तथा ‘‘ऐसे आदेश करेगा जैसे वह ठीक समझे’’ शब्दों से समाप्त होने वाले अंश के स्थान पर निम्नलिखित रखा जायेगा अर्थात् :—

‘‘तो अपील प्राधिकारी ऐसे आदेश कर सकेगा जैसे वह ठीक समझे।’’

5. उक्त नियमों के नियम 26 में, परन्तुक (ii) में से निम्नलिखित का शेष किया जायेगा, अर्थात्—

‘‘तथा संवर्धित व्यक्ति को ऐसा अभ्यावेदन, जैसा कि वह अधिनियमित शक्ति के विरुद्ध करना चाहता है, करने का अवसर देने के पश्चात्।’’

[एफ० सं० 3/11/76-ई आई एड ई पी]

S.O. 1020.—In exercise of the powers conferred by section 17 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Rules, 1978, namely :—

1. (1) These rules may be called the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal) Amendment Rules, 1980.

(2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.

2. In the Export Inspection Council Employees (Classification, Control and Appeal), Rules, 1978 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 2, after clause (j) the following clause shall be inserted namely:—

“(jj) “public servant” means a Government servant or a Council employee or an employee working under the administrative and technical control of the Council;”

3. In rule 11 of the said rules:—

- (1) in sub-rule (2), for the words “an authority”, the words “a public servant” shall be substituted;
- (2) in clause (c) of sub-rule (5), for the words “a Council employee working under the administrative and technical control of the Council” the words “a public servant” shall be substituted;
- (3) (i) sub-rule (8) shall be renumbered as clause (a) of that sub-rule and in clause (a) as so re-numbered for the words “any other Council employee or any employee working under the administrative and technical control of the Council”, the words “any public servant” shall be substituted.

(ii) after clause (a) of sub-rule (8), as so re-numbered the following clause shall be inserted, namely:—

“(b) The Council employee may also take the assistance of a retired Government servant or a retired Council employee or a retired employee who worked under the administrative and technical control of the Council to present the case on his behalf, subject to such conditions as may be specified by the Council from time to time by general or special order in this behalf”.

4. In rule 24 of the said rules, in sub-rule 2 (i) in proviso (i), for the portion commencing with the words “on a consideration of the proceedings of such inquiry” and ending with the words “make such orders as it may deem fit”, the following shall be substituted, namely:—

“on a consideration of the proceedings of such inquiry, make such orders as it may deem fit”;

(ii) in proviso (ii), for the portion commencing with the words “the appellate authority shall” and ending with the words “make such orders as it may deem fit”, the following shall be substituted, namely:—

“the appellate authority shall make such orders as it may deem fit”.

5. In rule 26 of the said rules, the proviso (ii), the following shall be omitted, namely:—

“and after giving the person concerned an opportunity of making any representation which he may wish to make against such penalty.”

[F. No. 3(11)/76-EI & E.P.]

क्र० प्र० 1021.—केन्द्रीय सरकार ने निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, संश्लिष्ट अपमार्जक के मंत्र्य में भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न को मान्यता देने का प्रस्ताव निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) नियम, 1963 के नियम 11 के उप नियम (2) की अपेक्षानुसार भारत सरकार के वाणिज्य मंत्रालय के आदेश सं० का० आ० 867 तारीख 10 मार्च 1979 के अंतर्गत भारत के राजपत्र भाग II खंड 3, उपखंड (ii) तारीख 10 मार्च, 1979 में प्रकाशित किया था,

और इसके द्वारा, प्रभावित होने वाले सभी व्यक्तियों से 24 अप्रैल 1979 तक आक्षेप तथा सुझाव मांगे गये थे।

और उक्त राजपत्र की प्रतियाँ जनता को 10 मार्च, 1979 को उपलब्ध करा दी गयी थी,

और उक्त आक्षेप पर जनता से प्राप्त आक्षेपों तथा सुझावों पर केन्द्रीय सरकार ने विचार कर लिया है।

अतः निर्यात (क्वालिटी नियंत्रण और निरीक्षण) अधिनियम, 1963 (1963 का 22) की धारा 8 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केन्द्रीय सरकार इसके द्वारा इन व्यक्तियों को प्रयोजन के लिये संश्लिष्ट अपमार्जक के संबंध में भारतीय मानक संस्था प्रमाणन चिह्न को मान्यता देती है। कि जहाँ संश्लिष्ट अपमार्जक के पाकों या पैकेजों पर ऐसे चिह्न लगाए गए हैं वहाँ वे उक्त अधिनियम की धारा 6 के खंड (3) के अधीन उस पर लागू होने वाले मानक विनियमों के अनुरूप समझे जायेंगे।

स्पष्टीकरण.—इस अधिसूचना में “संश्लिष्ट अपमार्जक” से घरेलू कार्यों के लिए प्रयुक्त ऐल्किल एरिल प्रकार का एनायनिक अम्लीय अपमार्जक अभिप्रेत है। कार्यशील घटक ऐल्किल एरिल मल्फोनिक अम्ल का सोडियम नमक होगा। उत्पादित वस्तुओं के अंश प्रयोग को ध्यान में रखते हुए सूत्रण एक या अधिक बिल्टर या योगज हो सकते हैं। सामग्री मुक्त बूरे के पेस्ट तर्ल या गोणियों के रूप में होगी तथा उसमें कोई अशुद्धि नहीं होगी।

[स० 6(28)/76-नि०नि० तथा नि०उ०]

S.O. 1021.—Whereas the Central Government, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963) published a proposal to recognise the Indian Standards Institution Certification Mark in relation to synthetic detergents as required by sub-rule (2) of rule 11 of the Export (Quality Control and Inspection) Rules, 1964 in the Gazette of India, Part-II Section 3 Sub-section (ii), dated the 10th March, 1979, under the Order of the Government of India in the Ministry of Commerce No. S. O. 867, dated the 10th March, 1979.

And whereas objections and suggestions were invited till the 24th April, 1979 from all likely to be affected thereby.

And whereas the copies of the said Gazette were made available to the public on the 10th March, 1979;

And whereas the objections and suggestions received from the public on the said draft have been considered by the Central Government.

Now, therefore, in exercise of the powers conferred by section 8 of the Export (Quality Control and Inspection) Act, 1963 (22 of 1963), the Central Government hereby recognises the Indian Standards Institution Certification Mark in relation to synthetic detergents for the purpose of denoting that where the cartons or packages of synthetic detergents are affixed or applied with such mark, they shall be deemed to be in conformity with the Standard specifications applicable thereto under clause (3) of section 6 of the said Act.

Explanation—In this notification “synthetic detergents” means anionic nonsoapy detergents of the alkyl aryl type used for household and industrial purposes. The active ingredient shall be sodium salt of alkyl aryl sulphonic acid. The formulation may contain one or more of the builders of additives keeping in view of the free flowing powder, paste, liquid or tablets and shall not give any unpleasant odour.

[No. 6(28)/76-EI & EP]